जन स्वास्थ्य अभियान राष्ट्रीय अधिवेशन 2025

11-12 दिसंबर, जवाहर भवन, नई दिल्ली

विषयगत नोट

स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक

पर्यावरण और जलवायु संकट के सन्दर्भ में

परिचय:

जन स्वास्थ्य अभियान स्वास्थ्य को एक बुनियादी अधिकार मानता है— न कोई बाज़ारी माल, नहीं किसी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी। यह एक ऐसा हक है जो व्यक्ति की आत्मसम्मान से जुड़ा है और इसे कोई छीन नहीं सकते। 2024 का "हमारा स्वास्थ्य, हमारा अधिकार!" नामक पीपुल्स मैनिफेस्टो बताता है कि स्वास्थ्य की स्थिति मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल से तय होती है, और हेल्थ में भेदभाव कैपिटलिज़्म, जाति, पितृसत्ता और कॉलोनियल विरासत में मौजूद संसाधनों के नियंत्रण और सत्ता के व्यवस्थापित ढांचे का उपज है।

हेल्थ के सामाजिक कारकों पर JSA के फ्रेमवर्क में आय सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, हाउसिंग, साफ़ पानी और सफ़ाई, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा , काम करने के सुरक्षित हालात, सुरक्षित वातावरण और अच्छी गुणवत्ता की ज़िंदगी शामिल है। ये कारक समाज के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों पर हमेशा बोझ डालते दिखाई देते हैं। पर्यावरण के धमासान, जलवायु परिवर्तन और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलकर बहुत स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है जैसे - गर्मी से होने वाली बीमारियां, पानी से होने वाली बीमारियां, सांस की बीमारियां, कुपोषण के और भूख की स्थिति और आपदा से होने वाली संकट। यह परिस्थितियाँ मजदूरों, दलित समुदाय के लोगों, आदिवासियों, महिलाओं पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की स्थिति तो विशेष रूप से समस्या ग्रसित होते है।

जन स्वास्थय अभियान अधिवेशन के इस दस्तावेज में चर्चा के लिए मुख्य मुद्दों को एक साथ रखा गया है: जैसे गर्मी, हवा और पानी का प्रदूषण से होने वाले मुख्य व्यवसायिक स्वास्थय मुद्दे; पानी, सफ़ाई और पोषण के बुनियादी अधिकारों की स्थिति; और जल वायु संकट से जुड़ी आपदाएँ और इन स्थितियों को मुकाबला करने में हेल्थ सिस्टम की कमज़ोरीयां। स्वास्थय के सामाजिक कारक से जुड़े सत्र में वक्ताओं द्वारा इन बातों पर विशेष चर्चा की जाएगी और JSA की स्वास्थय के ऊपर लोक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक फ़ैसले लेने और बराबरी की दिशा में स्ट्रक्चरल बदलाव की मांग पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्य मुद्दे जिन पर विचार किया जाएगा

गर्मी की लहर, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं कामगारों की सुरक्षा

भारत में गर्मी का लहर के बढ़ता संकट दिखाता है कि जलवायु संकट स्वास्थय स्थिति में किस प्रकार का असमानता लाता है। बढ़ते तापमान से गर्मी के तनाव से होने वाली बीमारी और मौत की दर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसका बोझ ज़्यादातर बाहर काम करने वाले मजदूरों पर पड़ रहा है – जैसे खेतिहर मज़दूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सफ़ाई कर्मचारी और गली मोहल्ले में खुले में व्यापार करने वाले, एप्प के आधारित सेवा देने वाले वर्कर – जिन्हें बिना छाँव, पानी, आराम या कानूनी सुरक्षा के लगातार काममें रहना पड़ता है और सीधे काम से जुड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। आस-पास की हवा की क्वालिटी, हीट वेव और ज़मीनी हकीकत के मद्देनजर मज़दूरों पर जलवायु संकट के असर और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों का लगातार डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। शहरी हीट आइलैंड के असर (आंतरिक इलाकों की तुलना में 2°C तक ज़्यादा गर्म) और लगातार हवा में प्रदूषण का सामना करना खास समुदायों में काम से जुड़ी हेल्थ चुनौतियों को और बढ़ा देता है। भारत में क्लाइमेट से निपटने के तरीकों और उनके हेल्थ पर पड़ने वाले असर के बारे में सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन की कमी एक बड़ा मुद्दा है जिसे युद्ध स्तर पर सुलझाना होगा। भीषण गर्मी के असर से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम की तैयारी काफ़ी नहीं है, जिससे चुनौतियाँ और भी मुश्किल हो जाती हैं।

JSA के 2024 के पीपुल्स मैनिफेस्टो में साफ़ तौर पर "हेल्थ वर्कर्स के लिए न्याय" कामगारों के पर्यावरणिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति की मांग की गई है। JSA की मांग है: संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी कामगार ईएसआई सिस्टम के अंतर्गत शामिल हो; सिलिकोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियों वाले वर्कर्स का संपूर्ण रिहैबिलिटेशन हो; व्यावसायिक स्वास्थय के मापदंड लागू हो; और सही सैलरी, वेतनयुक्त छुट्टी जैसे प्रावधान के साथ वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पक्का हो। इसके अलावा, मौजूदा हीट एक्शन प्लान्स में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साफ़ तौर पर बजट आबंटन की ज़रूरत है, जबकि मौजूदा नियम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट बजट का सिर्फ़ एक छोटा हिस्सा ही आबंडित करता है। हर साल बढ़ती इस चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष निर्धारित पर्याप्त फंडिंग की ज़रूरत है, साथ ही इस मुद्दे पर अलग-अलग स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए भी प्रावधान की ज़रूरत है।

वायु और जल प्रदूषण: पर्यावरण के साथ अन्याय और स्वास्थ्य से इनकार

भारत में वायु प्रदुषण से हर साल लगभग 12 लाख लोगों की समय से पहले मौत होती है; पानी के खराब होने से हर साल 2 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं हैं, बल्कि गलत स्वस्थ्य नीतियों का परिणाम है, जिसकी चलते इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, माइनिंग, थर्मल पावर जेनरेशन, फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह सामान्य रूप से हो पाता है। उल्लेखनीय है कि इनमें से ज़्यादातर गलत कार्य सरकारी खर्च पर होते हैं। सरकार अभी भी इंसिनरेटर- आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाती जा रही है, जबकि विकसित देश इन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी मानते हैं और जलवायु पर इससे होने वाले बुरा असर के

चलते इन्हें हटा रहे हैं। ये केंद्रीकृत इंसिनरेटर सिस्टम ज़हरीली गैसें निकालते हैं और आस-पास के इलाकों का तापमान बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा और सांस की हेल्थ से जुड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं और आस-पास के लोगों के लिए बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। इसके अलावा, कई प्रदुषण फैलाने वाली उद्योग व्यवस्थित तरीके से गरीब, दलित और आदिवासी समुदाय की बस्तियों के पास ही लगाया जाता हैं, जहाँ ज़मीन सबसे सस्ती है और राजनीतिक प्रतिरोध कमज़ोर है।

बड़े उद्योग परियोजनाओं का समुद्र तट के आबादी और काम करने वालों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। केंद्र या राज्य सरकारों के करीबी उद्योगपति द्वारा चलाए जाने वाले कई हाई-प्रोफाइल परियोजनाओं की वजह से पानी का तापमान बढ़ा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है, हवा प्रदूषण करने वाले पार्टिकुलेट मैटर बढ़ा है और शोर का स्तर भी बढ़ा है। इनसे मछली पकड़ने में भारी कमी और जानवरों के गर्भपात में भी बढ़ोतरी देखी गई है। "हमेशा की तरह चलने वाला" डेवलपमेंट को और 'अच्छे' के नाम पर देने वाली सरकारी जलवायु बजट को मानना मुश्किल है, जो फायदे का वादा करते हैं, लेकिन उद्योग पतियों को फायदा पहुंचाते हैं और आम तटीय या आदिवासी समुदायों को तबाह करते हैं। सरकार ने अपने इन करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर जगहों पर उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाया, और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई मापदंड और नियमों में बदलाव किए हैं, जो की जल वायु संकट को और दूरव्यापी बुरा असर डालेगा।

वैसे जी बहुत ज़्यादा समस्याग्रसित पहाड़ी इलाके और भी कमज़ोर किये जा चुके हैं - इन इलाकों में पर्यावरण की खराबी से पानी के स्रोत लगातार खतरे में हैं। पारंपरिक पानी के सिस्टम, जैसे कि कुल और नहरें, जो सदियों से सिंचाई के सोर्स के तौर पर काम करते रहे हैं, को ठोस और लिक्विड कचरे के लिए गंदे डंपिंग ग्राउंड जैसे बना दिए गए हैं, जो फैलने वाली बीमारियों के लिए जगह बन गए हैं, बावजूद इस बात के कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत साइंटिफिक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी की कमी चिंता की बात है, और अलग-अलग स्तर पर सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए जनता के दखल की ज़रूरत है। पहाड़ी सिस्टम रेगुलर बादल फटने, लैंडस्लाइड, बाढ़ और उससे जुड़ी आपदाओं का भी शिकार बन चुका हैं, जिस का एक प्रमुख कारण पर्यावरण की स्थिति और कमज़ोरियों को पूरी तरह से समझे बिना ऐसे इलाकों में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ान से है। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पहाड़ी और देश के अन्य कई इलाकों में कम्युनिटी वॉटर सप्लाई और सफ़ाई की कोशिशें ठप हो गई हैं। इन मामलों पर तुरंत ध्यान की ज़रूरत है।

निजी उद्योगों और सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले सभी बड़े इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, समुदाय के देखरेख में एनवायरनमेंट और हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है, जिस के आधार पर, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को स्वीकार या अस्वीकार करने में स्थानीय समुदायों को हक़ हो। हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जो पहले से ही तथाकथित विकास का बोझ उठा रहे हैं और हर प्रकार के प्रदूषण से पीड़ित हैं, का समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य प्रणाली को पर्यावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य की निगरानी लागू करना चाहिए और प्रदूषण और बीमारी के संबंधों को निरंतर दस्तावेजीकृत करना चाहिए, साथ ही सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदायों को आवश्यक सेवाएं पर्याप्त रूप से प्रदाय करना भी चाहिए।

पोषण, पानी, सफ़ाई के सभी बुनियादी अधिकार खतरे में

पोषण संबंधी स्वास्थ्य स्थिति देश में खाने की उपलब्धता से नहीं, बल्कि व्यक्ति कई प्रकार के परिस्थिति से तय होता है जैसे कि नियमित आय, रोज़गार, ज़मीन पर हक़ और बेहतर लोक वितरण प्रणाली आदि। जलवायु संकट के फलस्वरूप खेती में कई प्रकार के चुनौतियां होने के चलत सबसे गरीब लोगों के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा का संकट और गहरा हो गया है, और महिलाओं और बच्चों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है।

पानी और सफ़ाई के मामले में, UN जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत सरकार के खास जल जीवन मिशन के बावजूद, देश में लगभग 17% शहरी आबादी और 47% ग्रामीण आबादी को अभी भी साफ़ पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बेसिक सिस्टम स्वछता सेवा तक पहुँच कुछ हद तक बेहतर हुई है, लेकिन कुल आबादी के 46% लोगों को अभी भी सुरक्षित तरीके से मैनेज की गई स्वछता सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के ज़्यादातर घरों में अभी भी गंदे पानी का सुरक्षित ट्रीटमेंट और डिस्पोज़ल नहीं है, जिससे लोगों की सेहत को खतरा है। जैसा कि पहले बताया गया है, पर्यावरण और जलवायु संकट स्थिति को लगातार खराब कर रहे हैं, मज़बूत सिस्टम की कमी और कम पैसे मिलने से पहले से ही पिछड़ी आबादी के लिए चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। सफाई कर्मचारियों का स्थिति ऐसी परिस्थिति में और भी चिंताजनक हो गयी है।

पानी, सफ़ाई, हाइजीन और हेल्थ को एक समेकित प्रणाली के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें पानी की क्वालिटीगुणवत्ता और मल-मूत्र के डिस्पोज़ल में सुधार से डायरिया जैसे बीमारी का खतरा 36% तक कम हो जाता है, जिसका न्यूट्रिशन और बच्चों के विकास पर भी बहुत असर पड़ता है। इस बात के साफ़ सबूत हैं कि सभी को साफ़ पानी और सफ़ाई की सुविधा, हाइजीन की शिक्षा और आचरण आदि पोषण की स्थिति में काफ़ी सुधार करती है, और इस फ़ायदे को सही अतिरिक्त भोजन से और बढ़ाया जा सकता है। पानी और सफ़ाई ऐसे बुनियादी फ़ैक्टर हैं जिनके लिए सरकारी निवेश और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की ज़रूरत होती है, और उन्हें कई विकसित देशों की तरह पब्लिक हेल्थ सिस्टम के मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए।

खाने की कमी और भूख मुख्या तौर पर देश के मौजूदा आर्थिक स्थिति और रोज़गार के संकट का नतीजा है, ज़रूरी नहीं है कि यह खाने की उपलब्धता का नतीजा हो। एक्सपोर्ट पर आधारित खेती ने हमारे पानी के संसाधन को खत्म कर दिए हैं, खाने का प्रोडक्शन घरेलू खपत से हटकर बाज़ार में खरीदने की तरफ मोड़ दिया है, एवं किसानों को और गरीब बना दिया है। हमें फ़ूड सॉवरेनिटी अप्रोच, एग्रोइकोलॉजी और मज़बूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ज़रूरत है ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भूखा न रहे। न्यूट्रिशन एक हक़ है जो इज्ज़तदार रोज़गार और फ़ूड सिस्टम से जुड़ा है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को बनाए रखता है।

कॉर्पोरेट माइनिंग परियोजनाएँ सहित कई 'विकास' परियोजनाओं की चलते जंगलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। वाणिज्यिक मूल्य वाले मोनोकल्चर प्लांटेशन की चलते ज़मीन का इस्तेमाल खाद्य फसलों से हट रहे हैं, और आदिवासी समुदाय जंगल के इकोसिस्टम के साथ तालमेल रखने वाले खाने और लाइफस्टाइल से वंचित हो रहे है, और जंगल से मिलने वाली जैव विविधता से दूर हो रहे हैं। ऐसे में

आदिवासी समुदायों में अपने अस्थित्व का कई सवाल और मानसिक स्वास्थय समस्याएं भी पैदा हो रही है।

सार्वभौमिक पहुँच, स्वास्थ्य के अधिकार का मूल आधार है। JSA के 2024 के मैनिफेस्टो में ये माँगें थीं: पानी और सफ़ाई तक पहुँच संवैधानिक अधिकारों में आधारित हो, न कि पैसे देने की क्षमता पर; पानी का निजीकरण खत्म हो; पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, खासकर ग्रामीण/समुद्र किनारे वाले इलाकों में। इसी तरह, JSA ने हमेशा पोषण को खाद्य संप्रभुता और एग्रोइकोलॉजी के साथ जोड़ने की माँग की है, और यह साफ़ माना है कि पानी, सफ़ाई, हाइजीन और न्यूट्रिशन को बाज़ारी वस्तु नहीं बनाया जा सकता।

आपदाएँ और स्वास्थ्य प्रणाली की कमज़ोरी

जलवायु से जुड़ी आपदाएँ—साइक्लोन, बाढ़, सूखा आदि—पलायन, रोज़ी-रोटी में रुकावट, खाने की कमी, बीमारियाँ फैलने और मेंटल हेल्थ की दिक्कतें पैदा करती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर समुद्र के किनारे रहने वाली आबादी, छोटे किसानों, आदिवासियों और शहरी गरीबों पर पड़ता है। भारत का हेल्थ सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है- पब्लिक हेल्थ पर कुल खर्च का बहुत ही छोटा हिस्सा खर्च होता है, जबकि दूसरे देशों में यह भारत से चार पांच गुनाह है), और ग्रामीण स्वस्थ्य सुविधाओं में 60% से ज़्यादा वर्कफ़ोर्स की कमी है। आपदाएँ गाँव के हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम की पहले से ही कमजोर क्षमता को और और भी कम कर देती हैं।

JSA की मांग है कि स्वास्थ्य पर खर्च को जीडीपी के कम से कम 2.5% तक बढ़ाया जाए, और इसे और बढाया जाय, जिसमें सेवाओं के सार्वजनिक प्रदाय को प्राथमिकता दी जाए। यह सभी स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से मजबूत करने; प्रभावित समुदायों के नेतृत्व में आपदाओं के सामने खड़ा रहने का ताकत बढाने, विकेंद्रीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूलन और शमन योजना में निवेश करने की मांग करता है;

निष्कर्ष

जन स्वास्थ्य अभियान का 2025 का नेशनल कन्वेंशन सिविल सोसाइटी, हेल्थ वर्कर्स, एकेडेमिक और प्रभावित समुदायों के लोगों लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ वे सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण न्याय और जनतांत्रिक सहभागीता पर आधारित स्वास्थ्य न्याय का सामूहिक नजरिया बता सकते हैं। गर्मी के लहर, हवा और पानी का प्रदूषण, कुपोषण, पानी, सफ़ाई और हाइजीन तक पहुँच, जलवायु संकट, आपदा जैसी मुश्किल चुनौतियों की वजह से भारत में लोगों को जो अतिरिक्त स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, उससे एक ही सच्चाई सामने आती है: भारत का विकास धारा दर असल गलत दिशा में है जो कि आम लोगों की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देता है।

यह कन्वेंशन ऐसे मुद्दों पर ठोस कार्य योजना बनाने का मौका होगा, जिनके आस-पास JSA अपने अभियान चलाएगा, जिस की फलस्वरूप लड़ाई के लिए मांगें तैयार होगी, संगठन का सिस्टम की आकार दे सकते हैं और आवश्यक ताकत जुताई जा सकती है। स्वास्थ्य न्याय के रास्ते में हमें

स्वास्थय तंत्र में सार्वजनिक नियंत्रण, जनतान्त्रिक फैसले की जगह चाहिए और इसके लिए सबसे गरीब, असहाय और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता देने की दिशा में व्यवस्थागत बदलाव बनाना आवश्यक होगा।

जन स्वास्थ्य अभियान हेल्थ के सोशल डिटरमिनेंट्स पर फोकस करने की अहमियत को दोहराता है और सब के लिए स्वास्थय का परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मुख्य मांगों को नीचे सूचित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाली आबादी को ध्यान में रखा गया है। दुनिया जो बड़े पर्यावरण और जल वायु संकट से गुज़र रही है, कई आपदाओं का सामना कर रही है; यहां, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों को इन मांगों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन चुनौतियों की वजह से किसी को भी स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी परेशानी को भी झेलना नहीं हो रहा हो।

हमारी मांगें

- जब भी तापमान और ह्यूमिडिटी तय किया गया अधिकतम से ज़्यादा हो,ऐसी स्थिथि में उसे गर्मी लहर माना जाए और ऐसे परिस्थिति को साफ़ तौर पर आपदाओं के सूची में शामिल कर घोषित किया जायें। यह पक्का करें कि सभी प्रभावित समुदाय या व्यक्ति को उन सभी गर्म लहरों के दिनों के लिए रोजाना के नुकसान के लिए सही भरपाई मिले। उन सभी कमज़ोर समुदायों को भी ऐसे जर्मी की आपदा के दिनों में हक के तौर पर बेसिक मदद मिलनी चाहिए। ऐसी साफ़ मार्गनिर्देश व कार्यवाही के अभाव में कई असंगठित सेक्टर के मज़दूर और गली मोहल्ले के विक्रेता भुखमरी और बहुत ज़्यादा गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।

- गर्म लहर के दौरान लोगों की स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और हेल्थ सिस्टम को इस तरह तैयार करें कि प्रभावित लोगों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से मदद मिल सके। काम करने वालों के लिए खास सुरक्षा उपाय पक्का करें।

- सभी वर्कर्स के लिए मज़बूत व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा को आवश्यक बनाएं, सेक्टर के उन कमज़ोर वर्कर्स को डिफाइन करें और उन पर फोकस करें, जिसमें गर्म लहर के लिए खास प्रोविज़न हो और जटिल समस्यायों के समय सही मुआबजा निर्धारित किया जायें

- यह पक्का करें कि जलवायु संकट, जैसे साइक्लोन, जंगल की आग, गर्म लहर और बाढ़ से प्रभावित सभी लोग और समुदाय, हेल्थ राइट्स सहित अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत "पूरे पुनर्वास" के पैकेज के हकदार हों। ऐसे क्लाइमेट पीड़ितों की मदद के लिए खास बजट का इंतज़ाम किया जाना चाहिए।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चुनौतियों को देखते हुए, किसी भी नए इंसिनरेशन-आधारित "वेस्ट टू एनर्जी" प्लांटों पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दें और मौजूदा प्लांटों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर बंद कर दें।
- ऐसे उद्योग परियोजनाओं पर पूरी तरह रोक लगाएं जो हाशिये पर रहने वाले समुदायों को प्रदूषण के खतरों में डालते हैं; ऐसी परियोजनाओं को समुदाय की भागीदारी पर आधारित स्वतंत्र पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन को ज़रूरी करें और स्थानीय समुदायों को ऐसी परियोजनाओं को रोक लगाने जा विशेष अधिकार दें।
- पानी और सफ़ाई की सुविधा को मूल भूत अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करें: स्कीमों का निजीकरण खत्म करें; पानी की क्वालिटी की सही मॉनिटरिंग पक्का करें;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुन: सार्वभौमिक करें, विभिन्न खाद्य वितरण कार्यक्रमों को मज़बूत करें और यह पक्का करें कि सभी नागरिकों के खाने के अधिकार को ठीक से सुनिश्चित किया जा रहा है; खेती के सिस्टम को ऐसे बदलें जिससे किसानों की खुशहाली और खाद्य संप्रभुता प्राप्त हो।
- समुदाय आधारित योजना के साथ, जल वायु और आपदाओं से पैदा होने वाली अलग-अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थय प्रणाली की क्षमता को बढायें।
- एक्सपोर्ट पर आधारित केमिकल-इंटेंसिव कृषि मॉडल को खत्म कर खेती के व्यवस्था और नीतियों का ध्यान एग्रोइकोलॉजी और खाद्य संप्रभुता की तरफ़ लगादें, छोटे किसानों, आदिवासी और महिला किसानों को प्राथमिकता दें; ।
- सार्वजनिक स्वास्थय के लिए बजट पर्याप्त रूप से बढ़ाएं: GDP का कम से कम 2.5% स्वास्थय पर खर्च करें, जिसमें सार्वजनिक प्रदाय को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही पोषण और स्वास्थय के सामाजिक और पर्यावरणिक कारकों में भी पर्याप्त बजट आबंटन करें।
- प्राथमिक स्वास्थय सेवा प्रणाली को मज़बूत करें और आवश्यक कर्मचारीगण और अन्य संसाधनों के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा लागू करें; स्वयं की जेब से स्वास्थ्य के लिए होने वाले खर्चों को खत्म करें जो समाज के कमज़ोर तबकों के लिए स्वास्स्थ्य सेवाओं तक पहुँच में गंभीर रुकावटें पैदा करते हैं।
- पब्लिक हेल्थ और भलाई को प्राथमिकता देते हुए फॉसिल फ्यूल से हटकर, रिन्यूएबल और डीसेंट्रलाइज़्ड एनर्जी सिस्टम की ओर सही बदलाव पक्का करें।

- प्रभावित लोगों को नेतृत्व में रखते हुए समुदाय आधारित डिसास्टर रिस्क रिडक्शन और आपदा और जलवायु संकटों पर रेसिलिएंस पाने वाले तरीकों को नियोजित कर लागू करें, जिसके लिए ख़ास और पर्याप्त सार्वजनिक निवेश हो।

- ज़मीन, पानी, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर जनतांत्रिक सामुदायिक नियंत्रण बनायें; इस सम्बन्ध में आदिवासी, समुद्रतट पर रहने वाले, शहरी ग़रीब, बड़े उद्योग संरचनाओं के पास रहनेवाले आदि के पारंपरिक अधिकारों को पहचान कर उनकी रक्षा करें।

- विकास की धारा को संसाधनों को केवल निचोड़नेवाला न रखते हुए पुनर्गढ़ित करें, जिससे कि आम लोगों की मूल भूत ज़रूरतों को पूरा हो सकें और उनकी रोज़ी-रोटी बनाए रख सकें।

- समुदाय की भागीदारी और बराबरी पर आधारित रोकधाम केन्द्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण हो।

- इस बात को मानें की स्वास्थ्य पर समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सत्ता और इन सब का रिश्तों का प्रभाव पड़ता है; इसकी मद्देनजर राजनीतिक व्यवस्था को सुधार कर उसे बेहतर लोकतंत्र की ओर बढ़ाएं, जहां हाशिये पर रहने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी और स्वास्थ्य पर असर डालने वाले सभी फैसलों पर नियंत्रण का हक़ हो।